आय–व्ययक 2014–15

प्रमुख बिन्दु

1– आय

- वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुमान रु018955.72 करोड़ के सापेक्ष 2014–15 में राजस्व प्राप्तियों में 29.11 प्रतिशत वृद्धि सहित रु024474.46 करोड़ की राजस्व आय अनुमानित।
- वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुमान में कर राजस्व रु011007.81 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में 10.44 प्रतिशत वृद्धि सहित रु0 12157.26 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित।
- वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुमान में करेत्तर राजस्व रू07947.91 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में 54.97 प्रतिशत वृद्धि सहित रू012317.20 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।
- वर्ष 2013–14 में कुल रु0 24940.32 करोड़ प्राप्तियों के अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में 19.59 प्रतिशत वृद्धि सहित कुल प्राप्तियाँ रु0 29825.16 करोड़ अनुमानित।

2–व्यय

- वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में कुल रु0 25329.84 करोड़ व्यय अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में 19.83 प्रतिशत वृद्धि सहित रु0 30353.78 करोड़ का कुल व्यय अनुमानित है।
- वर्ष 2014–15 में आयोजनेत्तर व्यय रु018676.55 करोड़ अनुमानित है जो कुल व्यय का 61.52 प्रतिशत है। वर्ष 2013–14 के अनुमान रु0 16619.47 के सापेक्ष आयोजनेत्तर व्यय में 12.38 प्रतिशत की वृद्धि है।
- वर्ष 2013–14 में रु0 8710.38करोड़ आयोजनागत व्यय के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में 34.06 प्रतिशत वृद्धि सहित रु0 11677.23 करोड़ अनुमानित है।
- ब्याज में वर्ष 2013–14 में रु0 2540.85 करोड़ व्यय के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में 16.02 प्रतिशत वृद्धि सहित रु0 2947.93 करोड़ व्यय अनुमानित है।
- पेंशन की मद में वर्ष 2013–14 में रु01989.55 करोड़ व्यय के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में 21.86 प्रतिशत वृद्धि सहित रु0 2424.48 करोड़ व्यय अनुमानित है।

- ऋण वापसी की मद में वर्ष 2014–15 में रु0 1757.79 करोड़ का व्यय अनुमानित है जो कि गत वर्ष के आय–व्ययक रु0 2152.79 करोड़ के सापेक्ष 18.38 प्रतिशत कम है।
- वेतन की मद में वर्ष 2013–14 में रु0 7846.95 करोड़ व्यय के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में 17.17 प्रतिशत वृद्धि सहित रु0 9193.95 करोड़ व्यय अनुमानित है।

3–राजकोषीय संकेतक

- वर्ष 2013–14 में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं बल्कि रु0 682.43 करोड़ का राजस्व सरप्लस अनुमानित, अर्थात राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से कम रहना अनुमानित है।
- राजकोषीय घाटा रु0 4075.83 करोड़ है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) का 2.97 प्रतिशत है।
- राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा के सम्बन्ध में आय–व्ययक 2014–15 के परिणाम राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (अर्थात एफ0आर0बी0एम0) अधिनियम के लक्ष्यों (राजस्व घाटा शून्य, राजकोषीय घाटा जी0एस0डी0पी0 का 3.0 प्रतिशत) की सीमान्तर्गत हैं।

4–अन्य प्रमुख बिन्दु

❖ जेण्डर बजट के रूप में शत् प्रतिशत महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के साथ अन्य योजनाओं में मात्राकरण आधार पर महिलाओं के सशक्तिकरण को समुचित एवं समन्वित रूप से गति प्रदान की जा रही है। इसे सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2014–15 में जेण्डर बजट में लगभग रु0 3708 करोड़ का प्राविधान है जो वर्ष 2013–14 के सापेक्ष लगभग 14 प्रतिशत अधिक है।

❖ आपदा प्रबन्धन/आपदा पुनर्निर्माण व पुनर्स्थापना हेतु रु01693.48 करोड़ का प्राविधान है।

❖ राज्य में स्टेट डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स का गठन किया गया है।

- ❖ योजना परिव्यय और बजट प्राविधान के अन्तर को समाप्त करने एवं विकास की गति तज करने हेतु जिला योजना अन्तर्गत जनपदवार एक मुश्त बजट व्यवस्था की नई पहल की गई है।
- ❖ राज्य में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई का गठन किया गया है। इसी प्रकार की सतर्कता इकाई राज्य में संगठित आर्थिक अपराधों तथा भूमिखण्डों के अवैध खरीद–फरोक्त एवम् राजकीय भूमि में कब्जा करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु भी सृजित होगी।
- ❖ राज्य में पूर्व स्वीकृत पालीटेक्निकों में आवश्यक पदों का सृजन एवं पाबौ, बांस बगड़, तल्ला जौहार, बाड़ेछीना, पोखरी चमोली, बेरीनाग, पिपली डुण्डा, चिन्यालीसौड़, चोपता, बड़खेत, रिखणीखाल, भीमताल, कोट पौड़ी तथा जोगड़ीसैन में पालीटेक्निक संस्थानों की स्थापना प्रस्तावित है।
- ❖ स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा के गांव बुधाणी स्थित पैतृक आवास को राजकीय संग्रहालय के रूप में विकसित करने हेतु पदों का सृजन किया जाएगा।
- ❖ गौचर (चमोली), रूद्रप्रयाग, गहड़ खिर्सू (पौड़ी) भतरौजखान (अल्मोड़ा) तथा टिहरी में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाऐंगे।
- ❖ टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के लिए सीड कैपीटल हेतु प्राविधान किया गया है।
- ❖ 60 वर्ष व अधिक आयु के खेती करने वाले लघु सीमान्त कृषकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी।
- ❖ अनुसूचित जाति के 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- ❖ व्यापारियों को ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है कि जिससे वे वाणिज्य कर विभाग की वेबसाईट के माध्यम से फार्म सी स्वयं प्राप्त कर सकते हैं।
- ❖ उद्यमियों की मांग पर फार्म 11की मौद्रिक सीमा को समाप्त कर दिया गया है।
- ❖ सुख–साधन कर सम्बन्धी कर निर्धारण को छमाही के स्थान पर वार्षिक कर दिया गया है।
- ❖ सरकार द्वारा पकाये हुये भोजन पर कर की दर को 13.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- ❖ राज्य में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है।

- प्रदेश की जनजातियों की सांस्कृतिक विधाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्व0 श्री गुलाब सिंह जी के नाम से हिमालय संग्रहालय में पृथक व्यवस्था की जायेगी।
- पर्वतीय क्षेत्रों में फलों आदि की खेती एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त उपक्रम की स्थापना की जायेगी।
- मुख्य नदी एवं उप नदी घाटियों में स्टेट हाईवेज की तर्ज पर सड़कों का निर्माण किया जायेगा।
- कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए क्लस्टर आधारित कार्य योजना बनायी जायेगी।
- विभिन्न प्रकार के बीजू फलों को कलमी फलों के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए राज्य में नर्सरियाँ बनायी जायेगी।
- प्रदेश में आपदा प्रभावित गन्ना किसानों को दी गयी अनुग्रह सहायता के अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध करायी जायेगी।
- कुपोषित इलाकों में राशन की दुकानों से प्रति राशन कार्ड 2 किलो नमक, एक किलो सामान्य दाल एवं एक किलो पर्वतीय दाल उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रत्येक ग्रामों में वर्षा जल संग्रहण हेतु जलाशय, चैक डैम, लघु बांध का निर्माण किया जायेगा।
- पर्वतीय जनपदों में चकबन्दी की कार्यवाही प्राथमिकता पर प्रारम्भ की जायेगी।
- प्रदेश के गढ़वाल एवं कुमॉऊ सम्भाग में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी के नाम पर मेडिकल कालेज स्थापित किये जायेगें इसमें एक मेडिकल कॉलेज जिला पिथौरागढ़ में एवम् दूसरा मेडिकल कॉलेज भगवानपुर जिला हरिद्वार में स्थापित होगा।
- प्रदेश के जौलजीवी, अल्मोड़ा, चम्पावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, सितारगंज, जसपुर, बाजपुर, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, रूद्रप्रयाग, ऋषिकेश, पाण्डुकेश्वर, कर्णप्रयाग एवं गैरसैण में ट्रामा सेन्टरों की स्थापना की जायेगी।
- विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना की परिधि के अन्तर्गत लाया जायेगा तथा उनको उद्योग की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जायेगी।
- ग्राम मक्खनपुर, भगवानपुर (हरिद्वार) में कक्षा 1 से 12 तक के अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु बाबू जगजीवन राम जी के नाम पर आवासीय विद्यालय की

स्थापना की जायेगी तथा इसी प्रकार के अन्य विद्यालय प्रत्येक जनपद में स्थापित किये जायेंगे।

- ❖ प्रदेशवासियों को उनके योग्यता के अनुरूप रोजगार प्रदान किये जाने हेतु एक अभियान के रूप में रिक्तियों को भरा जायेगा।
- ❖ प्रदेश में आयी भीषण आपदा को न्यूनतम समय में प्रबंधित किये जाने तथा स्थानीय समस्याओं का स्थानीय रूप से चिन्हीकरण एवं समाधान हेतु सम्पूर्ण प्रदेश को 25 सेक्टरों में विभाजित किया जायेगा तथा प्रत्येक सेक्टर को वित्तीय एवं प्रशासनिक दृष्टि से एक परिपूर्ण इकाई का स्वरूप दिया जायेगा।
- ❖ पर्वतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु पर्वतीय जनपदों में चारा, फलोत्पादन एवं फलोद्योग को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इन क्षेत्रों को सृजित एवं उनकी रक्षा करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मैदानी इलाकों में फलोत्पादन हेतु ऐसी व्यवस्था की जायेगी।
- ❖ उत्तराखण्ड के 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के भ्रमण हुेत निःशुल्क यात्राएं सम्पन्न करायी जायेगी।
- ❖ विश्व प्रसिद्ध कलियर शरीफ में अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विस्तार हेतु एक विशेष कार्य योजना बनायी जायेगी।
- ❖ कलियर शरीफ में ऊर्दू एवं फारसी अकादमी तथा देहरादून में पंजाबी अकादमी का निर्माण किया जायेगा।
- ❖ संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकाण्ड की शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाया जायेगा।
- ❖ प्रदेश के राज शिल्पियों,काष्ट शिल्पियों, माटी–शिल्पियों एवं वृद्ध पुरोहितों,ग्रान्थियों, मौलवियों एवं पादरियों हेतु विशेष पेंशन योजना संचालित की जायेगी।
- ❖ श्रेणी–3 के पदों के विरूद्ध आवेदन शुल्क से मुक्ति प्रदान की जाती है।
- ❖ जन सामान्य को उनके दरवाजे तक सुविधाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु डोईवाला, नारसन, दुग–नाकुरी, सामा, नैनबाग, जलासू,नारायणबगढ़, लमगड़ा, बंगापानी, आदि स्थालों पर तहसील का सृजन किया गया।
- ❖ गन्ना किसानों के हितों को देखते हुए गन्ना मूल्य का भुगतान दो किश्तों में करने का प्रतिबन्ध निरस्त कर गन्ना मूल्य का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा।

————————————————————————